भा. कृ.अ.प. उत्तरी शीतोषण क्षेत्रीय केन्द्र
भा. कृ. अ. प. केन्द्रीय भेड व ऊन अनुसधांन संस्थान
गडसा (कुल्लू) हि.प्र. 175141

क्रमांकः 7(54)एम / 2015 / दिनांक : 27.09.2016

<u>कुटेशन सूचना</u>

इस केन्द्र के प्रशासनिक तथा लेखाानुभाग में कार्यालय सम्बन्धी कम्पयूटर कार्य को अनुबन्ध के आधार पर करवाने के लिए **<u>सेवानिवृत सैनिकों</u>**/**<u>प्राइवेट पार्टी</u>** से अपनी उचित व न्यूनतम दर मासिक आधार पर प्रस्तुत करने के लिए कुटेशन आमंत्रित किये जाते हैं 1 साथ ही ठेकेदार के पास पेन न0 होना आवश्यक है 1 सेवानिवृत सैनिको। को वरीयता दी जायेगी 1

<u>नियम व शर्ते :</u>

1 कुटेशन सादा कागज पर इस केन्द्र के अध्यक्ष महोदय के नाम बन्द लिफाफे मे स्वीकार किये जायेंगे, कुटेशन केन्द्र में दिनांक 14.10.2016 पूर्वाहन 11.00 बजे तक प्रस्तुत करना है 1 सशर्त / तार व डाक द्वारा भेजी गई तथा देर से प्राप्त कुटेशनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा 1 कुटेशन उसी दिन दोपहर 12–00 बजे कुटेशनदाता के समक्ष खोले जायेंगे 1 कुटेशन दाता के पास पेन नं0–अनिवार्य होना चाहिये जिस की छाया प्रति कुटेशन के साथ संलग्न करनी होगी 1

2 ठेकेदार को कुटेशन के साथ 1000–00 रुपये मात्र साई राशि के रूप में नगद या बैंक ड्राफ्ट जो सी. एस. डब्ल्यू. आर. आई यूनिट एन. टी. आर. एस. गडसा, के नाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा भून्तर पर देय हो जमा कराना पडेगा 1 बिना धरोहर राशि के कोई कुटेशन स्वीकार नहीं किया जायेगा 1

3 अनुबन्ध की उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जायेगी तथापि भारत/ हिमाचल सरकार द्वारा निर्धारित श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगा उसे निरस्त किया जा सकता है 1

4 दर प्रति माह के हिसाब से प्रस्तुत करना है 1 अनुवन्ध की अवधि 12 माह तक रहेगी, लेकिन कार्य की अवधि कम या अधिक भी की जा सकती है 1 यदि उक्त अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोषजनक रहा तो अनुबन्ध निश्चित समय अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है 1 जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी 1 इस दशा मे धरोहर राशि जब्त की जा सकती है 1

5 सफल दरदाता को कुल ठेका राशि का 5 प्रतिशत बतौर धरोहर राशि जमा करवानी होगी धरोहर राशि् बैंक ड्राफ्ट जो सी. एस. डब्ल्यू. आर.आई यूनिट एन. टी. आर. एस. गडसा, के नाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा भून्तर पर देय हो अथवा एफ.डी.आर. जो अधोहस्ताक्षरी के नाम गिरवीं रखा गया हो, द्वारा भी जमा करवा सकते हैं। 1 यह राशि ठेकेदार को लिखित प्रार्थना पर ठेका सन्तोषजनक समाप्त होने पर लौटा दी जाएगी 1

6 ठेकेदार/प्रतिनिधि के कार्य की समय सीमा कार्यालय समय अनुसार होगी 1

7 ठेकेदार/प्रतिनिधि कम से कम बारवीं पास एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण का डिप्लोमा होना आवश्यक है 1 इस के लिये दोनों दस्तावेजो। की प्रतिलिपि कुटेशनों के साथ संलग्न करना होगा 1 सेवा निवृति के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि साथ संलग्न करना होगा 1 सफल ठेकेदार को ठेका प्रदान होने से पूर्व नियमानुसार इकरारनामा प्रस्तुत करना होगा 1

8 ठेकेदार/ प्रतिनिधि पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिये तथा बीडी, शराब तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने वाला नहीं होना चाहिये 1 कार्य मे किसी भी प्रकार की शिथिलता / गैर जिम्मेदार/ अवज्ञा की गई तो ठेका निरस्त किया जा सकता है 1 ऐसी दशा मे धरोहर राशि जब्त की जा सकती है 1

9 अनुबन्ध की अवधि में ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को केन्द्र की सम्पति को बचाना होगा 1 यदि कोई नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का भुगतान स्वयं ठेकेदार को नकद करना होगा अन्यथा उनके देय बिल में से काट लिया जायेगा 1

10 ठेकेदार/प्रतिनिधि को किसी असामाजिक गतिविधियों मे संलिप्त नहीं होना चाहिये तथा उन्हें केन्द्र के अधिकारी/ कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना होगा अन्यथा ठेका तुरन्त निरस्त किया जाएगा ऐसी दशा मे धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी 1

11 कार्य के बिल का भुगतान प्रत्येक माह ठेकेदार द्वारा बिल दो प्रतियों मे पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर निश्चित समय अवधि 30–45 दिनों मे वित्त एवं लेखाधिकारी महोदय, केन्द्रीय भेड व ऊन अनुसधांन संस्थान, अविकानगर द्वारा किया जायेगा 1 नियमानुसार आयकर तथा अधिभार (जो लागू होगा) काटा जाएगा 1

12 प्रभारी अनुभाग/ अध्यक्ष महोदय के दिशा –निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा 1

13. ठेकेदार/प्रतिनिधि को कार्यलय के प्रत्येक कार्य की गोपनियता रखनी होगी 1

14. ठेकेदार/ प्रतिनिधि को कम्पयुटर टैस्ट देना अनिबार्य है 1

15.केन्द्र के सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/ सभी कुटेशनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है 1

<u>यदि किसी कारणवश उपरोक्त दिनांक को अवकाश होता है तो इस कार्य हेतु अगली दिनांक लागू होगी 1</u>

अध्यक्ष